बर्ड फ्लू से बचाव के लिए जीव सुरक्षा के मापदंड (बाइओसिक्योरिटी मईअरज)

डॉ. सिमरिंदर सिंह सोढ़ी[1], डा. जसविंदर कौर सोढ़ी[2] एवं डॉ. परमिंदर सिंह[3]
1,3 पशुपालन एवं चिक्त्सिा प्रसार विभाग, गड़वसु, लुधियाना।
2. एपिडेमियोलोजी एवं प्रिवेंटिव वेटेनरी मेडीसिन विभाग, गड़वसु, लुधियाना।

एविअन इनफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संबंध में लिए जाने वाले सख्त जीव सुरक्षा मापदंडो को मुर्गी पालन की किस्म एवं स्तर को प्रमुख रखते हुए दो भागों में विभाजित किया जाता है:-

1. संगठित फार्मा के लिए।
2. बैकयारड फार्मो/घरों के पिछवाड़े में किए जाने वाले मुर्गी पालन के लिए।

1. संगठित फार्मो के लिए – संगठित फार्मो के लिए निम्नलिखित जीव सुरक्षा मापदंडों के प्रयोग की सिफारिश की जाती है।

(i) फार्म की स्थिति : फार्म की स्थिति का बाइओसिक्योरिटी मईरज में एक अहम योगदान है एवं बर्ड फ्लू से बचाव के लिए अनिवार्य है कि हमारा संगठित फार्म पानी के भंडारों जैसे के गांव के छप्पड़ इत्यादि के नजदीक स्थित न हो।

(ii) इमारत की बनावट : पोल्ट्री फार्म की इमारत की बनावट इस तरह से होनी चाहिए कि :

(क) सभी संगठित पोल्ट्री फार्मो पर जंगली पक्षियों एवं जहां तक हो सके चूहे और छोटे जानवर या कीड़े-मकौड़े के दाखिल होन की व्यवस्था न हो।

(ख) इमारत की बनावट इस तरह की होनी चाहिए कि उनको जरूरत पड़ने पर आसानी से साफ और पूरी तरह रोग रहित किया जा सके। अगर संभव हो तो हमें अपने पोल्ट्री शैड खंबो पर, जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाने चाहिए ताकि शैड के नीचे सफाई आसानी से हो सके और हवा का निकास हो।

(iii) फार्म पर काम करने वालों एवं भ्रमण और दौरा करने वाले व्यक्तियों पर रोक:

(क) दवाइयों एवं वैक्सीन की कंपनियों के प्रतिनिधि इत्यादि जैसे व्यक्तियों का फार्म में प्रवेश नियमबद्ध होना चाहिए, क्योंकि यह लोग एक से दूसरे फार्म पर जाते समय इस बीमारी के फैलने मे एक स्त्रोत रूपी काम करते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके हमें इन लोगों के आगमन को नियमबद्ध एवं बीमारी रहित करना चाहिए।

(ख) फार्म पर काम करने वाले व्यक्तियों, सप्लाई करने वाले, वैटनरी डाक्टरों, साईसदानों एवं राज्य के सेहत विभाग के कर्मचारियों इत्यादि को हर हालत में आवश्यक कपड़ों के ऊपर पहनने वाला सामान जैसे टोपी, कपड़े एवं जूते इत्यादि पहनने चाहिए। अगर जूतों को नहीं बदला जा सकता हो तो उन पर लगे बीठ, कीचड़ इत्यादि को लम्बे हाथ वाले ब्रुश के साथ साफ कर लेना चाहिए। कपड़ों को डिटरजेंट से धोना चाहिए ओर रोग रहित जरूर करना चाहिए।

(ग) फार्म के प्रवेश करने वाले गेट पर कपड़े और जूते इत्यादि बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए एवं संबंधित व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक मात्रा में आरोग्य रक्षक और रोगाणु रहित करने के लिए दवाईयां होनी चाहिए।

(घ) नस्लकक्षी (ब्रिडिंग) फार्मो के कर्मचारियों को एक फार्म से दूसरे फार्म बिना आवश्यकता के नहीं जाना चाहिए और अगर जरूरी हो तो उनको सारी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए।

(ड़) फार्म के कर्मचारियों को पक्षियों के मेले एवं मंडियों में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें उस स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहां अन्य पक्षी या दूसरे फार्मो के पक्षी मौजूद हों।

(iv) गाड़ियों के आवागमन एवं इनके कर्मचारियों पर रोकथाम : यातायात के सभी साधनों को मनोनीत स्थानों पर ही खड़ा करना चाहिए और इनको फार्म में दाखिल होने से पहले तथा फार्म छोड़ने के तुरंत बाद रोग रहित किया जाना चाहिए। गाड़ियों के कर्मचारी जैसे कि ड्राइवर या कंडक्टर आदि को मनोनीत गाड़ियों को खड़ा करने वाले स्थान से आगे फार्म में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।

(v) दूसरे फार्मो के सामान एवं कर्मचारियों इत्यादि पर रोकथाम :

(क) जहां तक और जब तक संभव हो दूसरे फार्मो से सामान एवं कर्मचारियों इत्यादि को नहीं मंगवाना चाहिए, परन्तु अगर अतिआवश्यक हो तो जरूरी बाइओसिक्योरिटी मईअरज अपनाने के बाद जैसे कि रोगाणु रहित करना आदि के बाद ही इजाजत देनी चाहिए।

(ख) केवल डिसपोजएबल अंडो की ट्रे एवं अंडों के बक्सों को ही फार्मों से हैचरीज में भेजा जाना चाहिए या दोबारा प्रयोग में आने वाले डिब्बों को प्रवेश द्वार और बाहर जाने वाले स्थान पर रोगाणु रहित किया जाना चाहिए। अंडो के लिए गत्तों के डिब्बों का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको अच्छी तरह रोगाणु रहित नहीं किया जा सकता।

(vi) पोल्ट्री फार्मिंग के ढंग :

(क) पोल्ट्री फार्म में एक सामान्य उम्र ग्रुप की एक नियमित पालसी की पालना करनी चाहिए। यह तभी संभव होगा अगर हम आल इन-आल आऊट प्रोडक्शन प्रणाली को अपनाए।

(ख) संयुक्त फार्मिंग जैसे कि मुर्गियों के साथ बत्तख पालना या पोल्ट्री फार्मिंग के साथ सुअर पालना आदि को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) नया फलाक ढालने से पहले इस बात को यकीनी बनाना अतिआवश्यक है कि सभी पक्षी सेहतमंद स्टाक से ही प्राप्त किए गए हों।

(घ) क्योंकि खुराक एवं पानी भी रोग का कारण हो सकते हैं, इसलिए फीड के हर बैच का टैस्ट करवाया जाना चाहिए तथा पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

(ड़) फार्म के परिसर को समय-समय पर रोग रहित किया जाना चाहिए ताकि किसी बीमारी के प्रवेश को रोका जा सके और खासतौर पर तब, जब नया बैच लाया जाना चाहिए।

(च) फार्म के इमारत के इर्द-गिर्द तकरीबन 6 फुट जगह को किसी भी प्रकार की वनस्पति, बचे-खुचे एवं गले सड़े पदार्थों से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो यह एक सुरक्षा घेरे की तरह काम कर सके।

(छ) बीमारी का जल्दी एवं असरदार ढंग से पता लगाने के लिए सही मापदंड एवं ढंग अपनाने चाहिए। किसी भी किस्म की असाधारण्या मौत या शक पड़ने की सूरत में नजदीक के पशुचिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए।

(ज) मृतक पक्षियों को वैज्ञानिक तरीके के साथ फार्म के परिसर में ही नष्ट किया जाना चाहिए।

(vii) कुआरनटीन की सहूलिएत मुहैया करवाने के बारे में

(क) फलाक के नए बैच को लाने के वक्त कम से कम 30 दिनों तक पक्षियों को बाकी के फलाक से अलग रखा जाना चाहिए।

(ख) अगर किसी पक्षी को मेले या नुमाईश आदि में भेजा गया हो तो उसको दोबारा फलाक में ना मिलाया जाए।

2. **बैकयारड फार्मों के लिए :**

(i) बाहर से पोल्ट्री तक पहुंच जहां तक संभव हो बाड़ आदि लगाकर रोकी जानी चाहिए।

(ii) मुर्गियों की लड़ाइयों को रोका जाना चाहिए।

(iii) पोल्ट्री पक्षियों से संबंधित काम करने से पहले एवं बाद में अपने हाथों को साबून पानी और रोगाणु रहित दवाई से धोना चाहिए।

(iv) जहां तक पोल्ट्री उत्पादों के प्रयोग का संबंध है, विश्व सेहत संस्था परामर्श देती है कि पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद बिना किसी भय या डर के प्रयोग में लिए जा सकते हैं बशर्ते कि उनको अच्छी तरह से पकाया गया हो और पकाते वक्त उन्हें सही तरीके से हैंडल किया गया हो। एच. 5 एन.1-विषाणु गर्मी के प्रति संवेदनशील है। पकाते समय आम तापमान (खाने के सभी हिस्सों में 70 डिग्री) विषाणु को खत्म कर देता है। खपतकार इस बात को यकीनी बनाएं कि पोल्ट्री से सभी हिस्सों को पूरी तरह पकाया जाए। उसमें गुलाबी रंग का कोई भी हिस्सा न रहे एवं अंडो को भी सही तरीके से पकाया जाए भाव अंडे की जर्दी हिलती न हो।

(v) इस बात का ध्यान रखा जाए कि घरों में एवं बाजार में काटने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले चाकुओं को रोगाणु रहित करने वाली दवाई के साथ अच्छी तरह धोया तथा साफ किया जाना चाहिए।

(vi) किसी भी किस्म के एवियन इनफ्लुएंजा विषाणु के संभावी प्रवेश को कम करने के लिए बढ़िया जीव सुरक्षा के तरीकों को प्रयोग में लाकर पोल्ट्री फलाक एवं दुसरे पक्षियों या जातियों का आपस में मेल-जोल नहीं होने देना चाहिए।

(vii) पोल्ट्री के पानी एवं फीड की सप्लाई का इस तरह प्रबंध किया जाए कि अन्य पक्षियों की बीठ आदि से यह दूषित न हो।

(viii) मुर्गियों, बत्तखों, टर्की एवं सुअर आदि जातियों का आपस में मेल-जोल से परहेज किया जाना चाहिए।

(ix) ऊंचे घरौंदे बनाकर घरेलू पोल्ट्री को जंगली पक्षियों से दूसरे जंगली पक्षियों से दूर रखा जाना चाहिए।

(x) बीमारी को फैलने से बचाने के लिए बीमारी का जल्दी पता लगाना अनिवार्य है। इसलिए बैकयारड पोल्ट्री के मालिकों को एविअन एनफलुएंजा बीमारी के लक्षणों एवं असामान्य मौत और बीमारी के बारे में सुचेत किया जाए और इस संबंधी शक होने की सूरत में वे नजदीक के वैटनरी अधिकारियों को तुरंत सूचना दें। बीमारी के कुछ लक्षण निम्नलिखित अनुसार है:

- अचानक मृत्यु
- दस्त का लगना।
- अंडों की पैदावार में कमी या बिल्कुल खत्म हो जाना, कमजोर छिल्के वाले अंडे एवं टेड़े-मेड़े अंडों का पैदा होना।
- छिंको का आना, कठिन सांस, नाक का बहना एवं खांसना।
- ताकत में कमी एवं भुख का कम लगना।
- आंखों के इर्द-गिर्द और गर्दन में सोजिश का आना।
- वैटलज, कलगी एवं टांगो का रंल नीला व जामनी हो जाना
- उदासपन, मांसपेशियों का कांपना, पंखों का नीचे को झुकना, सिर और गर्दन का मुड़ जाना, तालमेल हीनता एवं पुरा अंधरंग होना।

(xi) वैटलैंड या ऐसे स्थान जहां जंगली व प्रवासी पक्षी आते हों, के इर्द-गिर्द के पोल्ट्री पालकों को स्थानीय एवं स्वैच्छिक तौर पर चौकसी बढ़ाने की परामर्श दी जाती है। जंगली व प्रवासी पक्षियों में असाधारण मृत्यु होने की स्थिति में तुरंत नजदीक के जंगलात व वैटनरी स्टाफ को सूचित किया जाना चाहिए।